संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी
आफिस काम्प्लेक्स बी ब्लाक गौतम नगर मध्यप्रदेश भोपाल

दूरभाष कंमाक 0755– 2583313

0000

क्रमांक / के.सी.–2 / 1–98 /1461 भोपाल, दिनांक 6-4-18

–::संशोधित आदेश::–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के पत्र क्र./पी.ई.बी./5–प–1/799/2017, दिनांक 14.12.2017 द्वारा यांत्रिक सहायक (उपयंत्री) के पद सीधी भर्ती से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी (अलिपकीय वर्ग) यांत्रिक सहायक (उपयंत्री) के पद पर म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतनमान रू. 32800–103600–लेवल–8 इंडेक्स–1 (पूर्व वेतनमान रू. 9300–34800+3200) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार गृहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नांकित शर्तो के अधीन नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए स्थान पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	मेरिट क्र.	चयनित उम्मीदवार का नाम	गृह–जिला	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	3	श्री सौरभ पटेल कुर्मी, पिता– श्री सुरेश पटेल कुर्मी, एम.आई.जी.–91, शिवनगर कॉलोनी, दमोह रोड़, जिला–जबलपुर, पिन–482002	जबलपुर	अ.पि.व./निल/ओपन (बैकलॉग)	कृषि यंत्री, भोपाल
2	2	सुश्री भावना मरावी, पिता– श्री सुखमन मरावी, C/O राजेश, बर्तन वाले, वार्ड नं.–3, उमरिया रोड़, नैनपुर, जिला–मण्डला, पिन–481776	मण्डला	अ.ज.जा./निल/ओपन (बैकलॉग)	सहायक कृषि यंत्री, गुना

परिवीक्षा अवधि के लिये नियुक्ति की शर्ते :–

1. नियुक्त अभ्यार्थियों की आपसी वरिष्ठता पी.ई.बी. द्वारा चयन क्रम के अनुसार रहेगी।
2. अभ्यार्थी को संपूर्ण सेवाकाल में म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
3. अभ्यार्थी की परिवीक्षा अवधी, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम के अधीन होगें।
4. अस्थाई नियुक्ति के दौरान इनकी सेवायें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद न पाये जाने पर किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर सुनवाई के उपरांत समाप्त की जा सकेगी।

5. यह नियुक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 24.11.2012 के अनुसार चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त दी जा रही है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा में अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वमेव समाप्त मानी जायेगी।
6. चयनित उम्मीदवार द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का नगद भुगतान जमा करके त्यागपत्र दिया जा सकेगा। एक माह का वेतन–भत्ते अथवा एक माह का नोटिस दिये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उपरोक्त शर्तों के अनुसार देय रकम भू–राजस्व के बकाया के अनुसार संबंधित से वसूल की जा सकेगी।
7. चयनित/नियुक्त उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण–पत्र प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
8. नियुक्त उम्मीदवार को अपने पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जायेगा। समयावधि पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
9. चयनित/नियुक्त उम्मीदवार को शैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी मूल प्रमाण–पत्रों, निःशक्तजनो के लिये निःशक्तता प्रमाण पत्र मूल एवं उनकी सत्यापित छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की जायेगी जिसकी जाँच संबंधित अधिकारी/कार्यालयों प्रमुख द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व की जावेगी। यदि प्रमाण–पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्त प्राधिकारी अर्थात् संचालनालय को दी जाकर परामर्श प्राप्त किया जायेगा।
10. म.प्र. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रंमाक एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.07.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित होने वाले अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
11. जो अभ्यार्थी शासकीय सेवक के रूप में केन्द्र/राज्य शासन के अधीन अथवा किसी निगम/मंडल आदि में कार्यरत है तो वे अपने उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपना त्यागपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगें।

12. परिवीक्षा अवधि में पदस्थापना स्थल को किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

2/ उपरोक्त सभी यांत्रिक सहायकों (उपयंत्रियों) की नियुक्तियॉ की प्रविष्टियॉ विभाग द्वारा संधारित आरक्षण रोस्टर पंजी में यथा स्थान की गई है।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक–21 सन् 1994) के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है ताकि उसे उक्त अधिनियम की धारा–76 की उपधारा–1 के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(राजीव चौधरी)
संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल

क्रमांक / के.सी.–2 / 1–98 / 1462 भोपाल, दिनांक 6-4-18

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशेष सहायक मान. मंत्री जी किसान कल्याण तथा विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. नियंत्रण अधिकारी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. / पी.ई.बी. / 5–प–1 / 799 / 2017, दिनांक 14.12.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री ....समस्त।
5. सहायक कृषि यंत्री ....समस्त।
6. संबंधित श्री .... की ओर सूचनार्थ।
7. आदेश नस्ती।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल